ऑन लाईन नं. RCMS 2022/277

न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा आर०ए०एस०

अपील प्रकरण सं0 37/2022

1. सोनू रानी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार निवासी वार्ड नम्बर 20 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थिया

बनाम

1. श्रीमान उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :

1. अपीलार्थीया स्वयं
2. विभागीय प्रतिनिधि महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर।

आदेश

दिनांक : 19.12.2022

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि निदेशालय समेकित बाल विकास विभाग जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 840 दिनांक 30.05.2022 में आंगनबाड़ीकर्मी/सहायक/ साथिन के रिक्त पदों की नियुक्ति जारी की गई जिसके अन्तर्गत आवेदकों की निर्धारित योग्यताएं धारित की गई जिसमें चयन की प्रक्रिया ग्राम/पंचायत/शहरी चयन समिति द्वारा 90 दिवस की समयावधि या एक ग्राम सभा/बैठक आयोजन में पूर्ण नहीं किए जाने पर जिला स्तार पर गठित चयन समिति द्वारा आवेदकों के चयन बाबत् आदेशित किया गया। अपीलार्थीया द्वारा वर्णित विज्ञप्ति के अनुसरण में आवश्यक पात्रता रखते हुए आंगनबाड़ी केन्द्र वार्डनंबर 20 केसरीसिंहपुर में विकलांग श्रेणी के आधार पर कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन किया गया एवं आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न किए गए। आवेदक की नियुक्ति के संबंध में ग्राम/पंचायत/शहरी चयन समिति द्वारा निर्धारित समयावधि अथवा ग्राम सभा/बैठक न होने पर जिला स्तर पर चयनित समिति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर, बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक जिला स्तरीय चयन समिति सदस्य के द्वारा आंगनबाड़ी में रिक्त पदों हेतु आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों का अवलोकन विभाग के निर्देशानुसार वरीयता सूची निर्धारण दिनांक 16.11.2022 की बैठक में किया गया एवं सफल आवदकों की सूची जारी की गई। अपीलार्थीया द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 20 केसरीसिंहपुर में कार्यकर्ता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसके अंतर्गत अपीलार्थीया द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया एवं अपीलार्थीया वर्णित पद हेतु आवश्यक आर्हताएं रखती थी। चयन समिति द्वारा दिनांक 16.11.2022 को प्रक्रियाधीन आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 20 केसरीसिंहपुर में रिक्त पद हेतु अन्य आवेदिका को पद निर्धारण किया गया। उपरोक्त चयन समिति द्वारा अन्य आवेदिका मनजीत कौर पत्नी बलविंद्र सिंह दस्तावेज एवं योग्यता के आधार पर कुल 11 अंक दर्शित करते हुए उसका सहायिका के पद हेतु चयन किया गया इसके अतिरिक्त अपीलार्थीया को भी चयन के आधार पर कुल 11 अंक दस्तावेज एवं योग्यता के आधार पर प्रदान की गई। चयन समिति

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

द्वारा अपीलार्थीया का चयन न कर विधि के प्रावधानों की अवहेलना की है। चूंकि
निदेशाल समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर द्वारा अपने आदेश क्रमांक प. 11(3)
10 / मो / आईसीडीएस / 2021 / 48815-49615 दिनांक 30.03.2022 के अंतर्गत
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हेतु आवेदकगण द्वारा समान अंक प्राप्ति की स्थिति
में आदेश के बिंदू संख्या 03 में विकलांग आवेदक को प्रथम वरीयता क्रम दिया गया
है, जिसके अनुसरण में अपीलार्थीया विकलांग की श्रेणी में आती है। जिस आधार पर
उसका चयन किया जाना आदेश के अनुसरण में आवश्यक था, जिस संबंध में चयन
समिति द्वारा उपरोक्त आदेश की अवहेलना की गई है, जो कि वरीयता क्रम के
आधार पर पक्षपातपूर्ण होने के कारण निरस्त योग्य है। जिला स्तरीय चयन समिति
द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 20 केसरीसिंहपुर हेतु आवेदिका मनप्रीत कौर का
चयन इस आधार पर किया गया है कि मनप्रीत कौर की आयु अपीलार्थीया से अधिक
है एवं अपीलार्थीया के विकलांग होने के तथ्य का लोप किया गया है, जो कि
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर के आदेशों की स्पष्ट उल्लंघना है।
वर्णित आदेश में आवेदक की अधिकतम आयु की महिला चयन आदेश के बिंदू संख्या
04 में वर्णित है जबकि अपीलार्थीया वरीयता क्रम के आधार पर आदेश के बिंदू
संख्या 03 में विकलांग श्रेणी की आवेदक है। उक्त कारण से भी जिला स्तरीय चयन
समिति द्वारा वरीयता क्रम संख्या 03 को दरकिनार करते हुए बिंदू संख्या 04 में
वर्णित महिला आवेदक का चयन किया गया है, ऐसा चयन विधि विरुद्ध होने के
कारण निरस्त योग्य है। भारतवर्ष में विकलांग श्रेणी के अभ्यार्थियों हेतु राज्य / केंद्रीय
सरकार द्वारा राजकीय सेवाओं हेतु आरक्षण निर्धारित किया गया है इसके पश्चात् भी
समान अंक प्राप्त आवेदकगणों में वरीयता क्रम के आधार पर प्रथम रूप से पात्र होने
के बावजूद जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा द्वितीय रूप से पात्र महिला अभ्यार्थी का
चयन कर विधिक भूल की है एवं अपीलार्थीया के विकलांग श्रेणी में होने के बावजूद
चयन से वंचित किया गया है जिसकी वह अधिकारिणी है। उक्त आधार पर भी
जिला स्तरीय चयन समिति का प्रथम वरीयता प्राप्त अपीलार्थीया का चयन न कर
विधि की भूल की है, उक्त कारण से भी चयन प्रक्रिया अवैध है एवं निरस्त योग्य है।
जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन के आधार पर जारी पत्र कार्यालय
उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर दिनांक 16.11.2022 को
निरस्त फरमाते हुए निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर द्वारा अपने
आदेश क्रमांक प. 11(3) 10 / मो / आईसीडीएस / 2021 / 48815-49615 दिनांक 30.
03.2022 में क्रम संख्या 03 के आधार पर विकलांग श्रेणी में आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड
नंबर 20 केसरीसिंहपुर में वरीयता के आधार पर कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति दी
जावे।

उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट एवं रिकार्ड
मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। रिपोर्ट एवं
रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीया ने दौराने बहस में कथन किया कि :-

अपीलार्थीया ने अपील के बिन्दुओं को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन
किया कि निदेशालय समेकित बाल विकास विभाग जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या
840 दिनांक 30.05.2022 में आंगनबाड़ी कर्मी / सहायक / साथिन के रिक्त पदों की
नियुक्ति जारी की गई। अपीलार्थीया द्वारा वर्णित विज्ञप्ति के अनुसरण में आवश्यक
पात्रता रखते हुए आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड नंबर 20 केसरीसिंहपुर में विकलांग श्रेणी के
आधार पर कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन किया गया एवं आवश्यक दस्तावेज आवेदन के
साथ संलग्न किए गए। आवेदक की नियुक्ति के संबंध में ग्राम / पंचायत / शहरी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

चयन समिति द्वारा निर्धारित समयावधि अथवा ग्राम सभा/बैठक न होने पर जिला स्तर पर चयनित समिति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर, बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक जिला स्तरीय चयन समिति सदस्य के द्वारा आंगनबाड़ी में रिक्त पदों हेतु आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों का अवलोकन विभाग के निर्देशानुसार वरीयता सूची निर्धारण दिनांक 16.11.2022 की बैठक में किया गया एवं सफल आवदकों की सूची जारी की गई। अपीलार्थीया द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 20 केसरीसिंहपुर में कार्यकर्ता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसके अंतर्गत अपीलार्थीया द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया। चयन समिति द्वारा दिनांक 16.11.2022 को प्रक्रियाधीन आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 20 केसरीसिंहपुर में रिक्त पद हेतु अन्य आवेदिका को पद निर्धारण किया गया। उपरोक्त चयन समिति द्वारा अन्य आवेदिका मनजीत कौर पत्नी बलविंद्र सिंह दस्तावेज एवं योग्यता के आधार पर कुल 11 अंक दर्शित करते हुए उसका सहायिका के पद हेतु चयन किया गया इसके अतिरिक्त अपीलार्थीया को भी चयन के आधार पर कुल 11 अंक दस्तावेज एवं योग्यता के आधार पर प्रदान की गई। चयन समिति द्वारा अपीलार्थीया का चयन न कर विधि के प्रावधानों की अवहेलना की है। चूंकि निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर द्वारा अपने आदेश क्रमांक प. 11(3) 10/मो/आईसीडीएस/2021/48815–49615 दिनांक 30.03.2022 के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हेतु आवेदकगण द्वारा समान अंक प्राप्ति की स्थिति में आदेश के बिंदू संख्या 03 में विकलांग आवेदक को प्रथम वरीयता क्रम दिया गया है, जिसके अनुसरण में अपीलार्थीया विकलांग की श्रेणी में आती है। जिस आधार पर उसका चयन किया जाना आदेश के अनुसरण में आवश्यक था, जिस संबंध में चयन समिति द्वारा उपरोक्त आदेश की अवहेलना की गई है, जो कि वरीयता क्रम के आधार पर पक्षपातपूर्ण होने के कारण निरस्त योग्य है। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 20 केसरीसिंहपुर हेतु आवेदिका मनप्रीत कौर का चयन इस आधार पर किया गया है कि मनप्रीत कौर की आयु अपीलार्थीया से अधिक है एवं अपीलार्थीया के विकलांग होने के तथ्य का लोप किया गया है, जो कि निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर के आदेशों की स्पष्ट उल्लंघना है। भारतवर्ष में विकलांग श्रेणी के अभ्यार्थियों हेतु राज्य/केंद्रीय सरकार द्वारा राजकीय सेवाओं हेतु आरक्षण निर्धारित किया गया है इसके पश्चात् भी समान अंक प्राप्त आवेदकगणों में वरीयता क्रम के आधार पर प्रथम रूप से पात्र होने के बावजूद जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा द्वितीय रूप से पात्र महिला अभ्यार्थी का चयन कर विधिक भूल की है एवं अपीलार्थीया के विकलांग श्रेणी में होने के बावजूद चयन से वंचित किया गया है जिसकी वह अधिकारिणी है। उक्त आधार पर भी जिला स्तरीय चयन समिति का प्रथम वरीयता प्राप्त अपीलार्थीया का चयन न कर विधि की भूल की है, उक्त कारण से भी चयन प्रक्रिया अवैध है एवं निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर ने अपनी बहस मे जबाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर के आदेश क्रमांक 108805 दिनांक 19.08.2021 के बिंदु संख्या 4 में दिए गए निर्देशानुसार "आंगनबाड़ी कर्मी/साथिन के रिक्त पद की विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया ग्राम पंचायत/शहरी चयन समिति द्वारा 90 दिन की समयावधि या 1 ग्राम सभा/बैठक आयोजन मे पूर्ण नहीं की जाती है तो जिला स्तर पर गठित चयन समिति के द्वारा चयन करने के आदेश दिये जाने" के फलस्वरूप कार्यालय के द्वारा जारी विज्ञप्ति

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

संख्या 840 दिनांक 30.05.2022 जारी की गई। जिसमें आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 30.06.2022 निर्धारित की गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीकरनपुर के द्वारा आ.बा.केंद्र वार्ड नंबर 20 में कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तरीय चयन कमेटी चयन हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई। उक्त चयन हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 16.11.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में किया गया। चयन कमेटी के सदस्यों के रूप में बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीकरनपुर संबंधित महिला पर्यवेक्षक श्रीमती कुलदीप कौर परियोजना श्रीकरनपुर चयन समिति के सदस्यों के रूप में उक्त बैठक में उपस्थित हुए एवं चयन समिति के सदस्यों के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का अवलोकन विभागीय निर्देशानुसार कर वरीयता सूची का निर्धारण निम्नानुसार किया गया–

आ.बा.केंद्रः वार्ड नंबर 20 कैसरीसिंहपुर
आरक्षित पदः– एससी पदः– कार्यकर्ता

अंक जोड़ने की प्रक्रियाः–

शै.यो. अंकः– 12वीं 0, स्नातक या समकक्ष योग्यता 1, स्नातकोत्तर–2 विज्ञान या पोषण विज्ञान वर्ग से स्नातक या स्नातकोतर–03, बीएड–02, श्रेणी सा. –1, ओबीसी– विशेष पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा, अल्पसंख्यक–2, एससी/एसटी–3 अन्य– विधवा–3, परित्यक्ता/तलाकशुदा 2, एनएफएसए–1, गति आधारित दिव्यांगजन–02, बीपीएल–1,RSCIT/PGDCA-1ANM-3, जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग–4 कार्यकर्ता/साथिन 1 वर्ष अनुभव 4 आदि विभाग के द्वारा निर्धारित अंक

बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीकरनपुर के द्वारा निर्धारित वरीयता सूचि :–

क्र. स.	आवेदक का नाम	पति/पिता का नाम	जन्म तिथि	आवेदन पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजो के आधार पर मूल्यांकन प्रपत्र अनुसार अंक
1.	सोनूरानी	राजेन्द्र कुमार	01.10.1992	स्नातकोतर–2,एससी–03,आरएससीआईटी–01,दिव्यांग जन–02, एएनएम– 03,एनएफएसए–01कुल अंक–12
2.	मनजीत कौर	बलविन्द्र	23.07.1991	स्नातकोतर–2,एससी–03,आरएससीआईटी–01,अनुभव–4, बीपीएल–01, कुल अंक–11

बाल विकास परियोजना अधिकारी के द्वारा तैयार की गई वरीयता सूची के अनुसार वरीयता के द्वितीय स्थान पर रखने पर श्रीमती मनजीत कौर पत्नी श्री बलजिन्द्र के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसकी सुनवाई भी उक्त तिथि को की गई। सुनवाई के दौरान श्रीमती मनजीत कौर पत्नी श्री बलविन्द्र के द्वारा अवगत करवाया गया कि श्रीमती सोनू रानी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार के द्वारा निवास के समस्त दस्तावेज हाल ही में तैयार करवाये गये है तथा वर्तमान में वार्ड नम्बर 20 में निवास नहीं करती है। श्रीमती सोनूरानी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार के निवासरत के सत्यापन की रिपोर्ट सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक से मार्फत सीडीपीओ श्रीकरनपुर से चाही गई। सीडीपीओ श्रीकरनपुर ने अपने पत्रांक 831 दिनांक 11.11.2022 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती सोनू रानी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार निवासी वार्ड नम्बर 20 केसरीसिंहपुर में ही निवास कर रही है तथा जांच कर्ता श्रीमती कुलदीप कौर के द्वारा सत्यापन के दौरान भी श्रीमती सोनू रानी वार्ड नम्बर 20 केसरीसिंहपुर में ही मिली। अतः कमेटी सदस्यों के द्वारा बैठक के दौरान मूल दस्तावेजो के मिलान हेतु श्रीमती सोनू रानी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार को भी बुलाया गया एवं दस्तावेजों की जांच की गई, मूल दस्तावेजों की जांच के दौरान सोनू रानी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार के द्वारा आवेदन पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजों के अनुसार मूल दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसमें उनके द्वारा स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध वर्ष व स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध की मूल अंक तालिका प्रस्तुत नहीं की गई तथा लिखित में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अवगत करवाया गया कि उक्त दोनो अंक तालिकाऐं गुम हो गई है। उल्लेखनिय है कि विभाग के परिपत्र कमांक 108508 दिनांक 19.08.2021 के बिन्दु संख्या 8(D)(5)(V) के अनुसार वरीयता सूची में प्रथम तीन महिलाओं के मूल दस्तावेजो की जांच किये जाने के निर्देश है। अतः चयन कमेटी के द्वारा सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि श्रीमती सोनू रानी पत्नी श्री राजेन्द्रकुमार के द्वारा स्नातकोत्तर पूर्वाद्व वर्ष व स्नातकोत्तर उत्तरार्द्व की मूल अंकतालिका प्रस्तुत नहीं किये जाने पर स्नातकोत्तर के अंक नहीं दिये जाने चाहिए। अतः कमेटी के द्वारा मूल पत्रावली में संलग्न आवेदन पत्रों की गहनता पूर्व जांच उपरान्त पुनः वरीयता सूची का निम्नानुसार निर्धारण किया गया :

क. स.	आवेदक का नाम	पति / पिता का नाम	जन्म तिथि	आवेदन पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजो के आधार पर मूल्यांकन प्रपत्र अनुसार अंक
1.	मनजीत कौर	बलविन्द्र	23.07.1991	स्नातकोतर–2,एससी–03,आरएससीआईटी–01,अनुभव–4, बीपीएल 01, कुल अंक 11
2.	सोनूरानी	राजेन्द्र कुमार	01.10.1992	स्नातक 1,एससी 03,आरएससीआईटी 01,दिव्यांगजन 02, एएनएम 03,एनएफएसए 01कुल अंक 11

उपरोक्तानुसार पुनः निर्धारित वरीयता के अनुसार कमांक 01 व 02 पर अंकित दोनों आवेदन कर्ताओं के अंक समान होने (11–11) पर विभागीय नियमानुसार सामान अंक आने की स्थिति में अधिक आयु की महिला का चयन किये जाने के निर्देशों की पालना में वरीयता कमांक 01 पर अंकित श्रीमती मनजीतकौर पत्नी श्री बलविन्द्र की आयु वरीयता कमांक 02 पर अंकित श्रीमती सोनू रानी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार से अधिक होने पर चयन समिति के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड नम्बर 20 केसरीसिंहपुर में कार्यकर्ता के पद पर श्रीमती मनजीत कौर पत्नी श्री बलविन्द्र को कमेटी के द्वारा चयनित किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली, रिपोर्ट एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

उपनिदेशक, महिला एवं बाल विभाग विभाग, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 6303 दिनांक 12.12.2022 में अंकित किया है कि " पुनः निर्धारित वरीयता के अनुसार कमांक 01 व 02 पर अंकित दोनों आवेदन कर्ताओं के अंक समान होने (11–11) पर विभागीय नियमानुसार सामान अंक आने की स्थिति में अधिक आयु की महिला का चयन किये जाने के निर्देशों की पालना में वरीयता कमांक 01 पर अंकित श्रीमती मनजीतकौर पत्नी श्री बलविन्द्र की आयु वरीयता कमांक 02 पर अंकित श्रीमती सोनू रानी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार से अधिक होने पर चयन समिति के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड नम्बर 20 केसरीसिंहपुर में कार्यकर्ता के पद पर श्रीमती मनजीत कौर पत्नी श्री बलविन्द्र को कमेटी के द्वारा चयनित किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

विभागीय परिपत्र कमांक प.11(3)10 / गो / आईसीडीएस / 2021 / 48815–49615 दिनांक 30.03.2022 के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार समान अंक आने की स्थिति :–परिपत्र के बिन्दु संख्या 8(ए)(X) समान अंक आने की स्थिति के अन्तर्गत दूरी मापने सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होने की आशंका के दृष्टिगत समान अंक आने की स्थिति में ग्रामीण,शहरी, जन जातीय क्षेत्रों के लिये निर्धारित निवास की निकटतम दूरी के प्रावधान को विलोपित करते हुए वरीयता कम को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

1.विधवा, इनमें भी समान होन पर जो सबसे कम उम्र की विधवा हुई हो।

2.तलकाशुदा, इनमें भी समान होने पर जो सबसे कम उम्र की तालाकशुदा हुई हो।

3.विकलांग।

4.अधिकतम आयु वाली महिला।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

5.अधिकतम आयु वाली महिला में भी दो या दो से अधिक आवेदकों के बराबर अंक हाने की स्थिति में बराबर अंक व एक ही जन्म दिनांक की महिला होने की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता के अनुसार निर्धारित वरीयता।

उपनिदेशक, महिला एवं बाल विभाग विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा विभागीय परिपत्र कमांक प.11(3)10/मो/आईसीडीएस/2021/ 48815 – 49615 दिनांक 30.03.2022 के बिन्दु संख्या 04 की पूर्ण अवलोकन नहीं की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है क्योंकि विभागीय परिपत्र अनुसार आंगनबाडी कार्यकर्ता का चयन करते समय समान अंक आने पर विभागीय परिपत्र के बिन्दु संख्या 4(3) के अनुसार विकलांग को चयन किया जाना चाहिए था। लिहाजा शहरी क्षेत्र के लिए चयन समिति की बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों के द्वारा अपीलार्थिया के आवेदन को खारिज करने हेतु निर्णय लिये जाने से पूर्व तथ्यात्मक जांच नहीं की गई है और न ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसरण में अपीलार्थिया को इस सम्बन्ध में सुनवाई कर समुचित अवसर प्रदान ही किया गया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय न्याय संगत नहीं है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश 16.11.2022 निरस्त किया जाता है। रेस्पोडेन्टस 01 को आदेशित किया जाता है कि वे सीडीपीओ, श्रीकरनपुर के अधीन शहरी क्षेत्र केसरीसिंहपुर के वार्ड नम्बर 20 के लिए कार्यकर्ता के पद हेतु अपीलार्थिया सोनू रानी का चयन मानते हुए कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर को उनके कार्यालय से प्राप्त रेकार्ड के साथ एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीकरनपुर प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 19.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डॉ. हरीतिमा)
अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर